

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
शुक्रवार, 05 मई, 2000 / बैशाख 15, 1922 §शक§

संख्या : 89

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह एवं श्री सुभाष चोपड़ा को दिनांक 3.5.2000 को अपराह्न 2.40 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण पुलिस थाना लोधी कॉलोनी में नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 3.5.2000 को अपराह्न 5.00 बजे, पुलिस थाना लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

रत. के. शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II
(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, May 05, 2000 / Baisakh 15, 1922 (Saka)

No. 89

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Additional Deputy Commissioner of Police, South District : -

" I have the honour to inform you that S/Sh. Talvinder Singh Marwah, MLA and S/Sh. Subhash Chopra, MLA (Congress) have been detained under section 65 D.P. Act in P.S. Lodhi Colony at 2.40 PM today and released at 5.00 PM while they were trying to provoke the jhuggi dwellers not to allow the demolition at Rajiv Gandhi Camp jhuggies."

S.K. SHARMA
SECRETARY